

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 41 / 2014

संस्थित दिनांक-21 / 07 / 2011

रामप्रसाद पुत्र गिरवर सिंह जाटव  
आयु 52 वर्ष निवासी चकमाधौपुर  
(घेटरनकापुरा) थाना मालनपुर परगना  
गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----पुनरीक्षणकर्ता

वि रु द्ध

- 01- मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस  
थाना मालनपुर (म0प्र0)
- 02- शिवसिंह पुत्र प्रभू जाटव, उम्र 50 वर्ष
- 03- रमेश पुत्र सुमेरु आयु 40 साल
- 04- हाकिम सिंह पुत्र सुमेरु आयु 35 साल
- 05- भूप सिंह पुत्र सुमेरु आयु 30 साल
- 06- वाशुदेव पुत्र ग्यादीन आयु 30 साल
- 07- कैलाश पुत्र ग्यादीन आयु 25 साल  
निवासीगण कमाधौपुर (घेटरनकापुरा)  
थाना मालनपुर परगना गोहद,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

---

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक  
प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की ओर से श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता

---

न्यायालय- श्री मनीश शर्मा जे.एम.एफ.सी. गोहद, जिला-भिण्ड के न्यायालय के  
आपराधिक प्रकरण रामप्रसाद विरुद्ध शिवसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक  
16 / 06 / 2011 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण।

---

**-:- आदेश -:-**

(आज दिनांक 26 जून, 2014 को पारित)

02- पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र विचारण  
न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका उसकी  
ओर से पेश की गई है।

02- पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी का परिवादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि  
परिवादी भारतीय सेना में दिनांक 06 / 07 / 1979 को भर्ती हुआ और दिनांक 31 / 03 / 05

को सेवा मुक्त होगया है। उसे शासन के नियम अनुसार प्रकरण क्रमांक 28/82-83xअ-19 विसूत्रीय समिती के माध्यम से चकमाधौपुर स्थित भूमी सर्वे नम्बर 12 रकबा 2.874 हैक्टेयर में से काविल कास्त रकबा 2.581 हैक्टेयर में से 1.569 हैक्टेयर का पट्टा प्रदाय किया गया था तथा मौके पर कब्जा दिया गया था जिसपर वह काविज होकर खेती करता चला आ रहा है अभियुक्तगण शिवसिंह आदि झगडालू प्रकृति के होकर खतरनाक व्यक्ति है और उसके पट्टे वाली जमीन पर जबरन कब्जा करने तथा जान से मारने के लिये प्रयत्नशील हैं। घटना दिनांक 17/07/2010 को सुबह 10 बजे आरोपीगण ने अपने अन्य साथियों के साथ लाठी, फरसा, कुल्हाडी आदि से लैस होकर पट्टे वाली भूमी पर लगे पेड़ों को काटना प्रारम्भ कर दिया। परिवादी द्वारा मना करने पर उसे आरोपीगण द्वारा गालियाँ दी गई तथा मारपीट करने के लिये आमदा हो गये, जिसकी रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाना मालनपुर पर की गई लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप परिवादपत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया।

03— मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। आलोच्य आदेश को देखा गया। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने परिवाद संज्ञान योग्य न पाये जाने से निरस्त किया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मूलतः यह तर्क है कि पंजियन के समय केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य देखी जाती है। उस समय गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने गुण-दोषों पर विचार करते हुए परिवाद निरस्त किया है। इसलिए आदेश अपास्त किया जाकर परिवाद पर से अपराध का संज्ञान लिए जाने का आदेश दिया जावे। जबकि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी केवल अनावेदकगण को तंग व परेशान कर रहा है और इसी उद्देश्य से परिवादपत्र पेश किया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उचित आदेश परित किया है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका सब्यय निरस्त की जावे।

04— परिवाद एवं उसके साथ संलग्न कर पेश की गई पुलिस की लेखीय रिपोर्ट तथा लेखीय सूचना में मूलतः पट्टे की भूमी पर से कब्जे को लेकर विवाद होना बताया गया है। परिवाद के साथ कोई पट्टा आदि पेश नहीं किया गया है, न ही भूमी स्पष्ट है कि कौन से खेत को विवाद है। पट्टे के तहत कोई कब्जा प्रथम दृष्टया परिवादी को प्राप्त होने का विन्दु भी प्रकट नहीं होता है। मामला विशुद्ध रूप से राजस्व न्यायालय

में विचारण योग्य है क्योंकि पट्टे संबंधि विवाद का नकार सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा सभावित है। जैसा कि एम.पी.एल.आर.सी. 1959 में प्राबधान है। धारा 200 एवं 202 दं0प्र0सं0 के संबंध में परिवाद के समर्थन में जो साक्ष्य परिवादी की ओर से पेश की गई है। उसमें से साक्षी क्रमांक 01 लगायत 03 उसके सगे भाई हैं। रामसहाय स्वतंत्र व्यक्ति था। उसने भी खेत पर लकड़ी के काटने को लेकर विवाद की बात बताई है। गाली गलौच या हमले के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं दिया है और विवाद राजस्व न्यायालय से परिवादी को निराकृत कराना चाहियें। आपराधिक दायित्व प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिती में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त ओदश दिनांक 16/06/11 के तहत धारा 203 दं0प्र0सं0 के प्राबधानों के अन्तर्गत परिवाद निरस्त करने में कोई विधि एवं तथ्य की भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिती में उक्त ओदश को अवैध, अनुचित या औचित्यहीन नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिती में पुनरीक्षण याचिका में उठाये गये विन्दु ओर लिये गये आधार किसी परिवाद के संज्ञान के लिये सुदृण व उचित प्रतीत न होने से वाद विचार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।

05— आदेश की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड